

संग्रहीत

जारी करना 406
दिनांक 23/4/2011

प्रख्यात दो
कृष्ण प्रसारण
छत्तीसगढ़ सामाजिक



सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र

मार्क 13807

देनांक (11.4.1984)

यह प्रमाणित किया जाता है कि रजिस्ट्रीकृत सोसायटी कृष्णा एन्ड कॉर्पोरेशनल सोसायटी..... ने
जा 234 चौनता बार्ड सेक्टर-10, मिलार्ड, गिला दुर्ग.....

मेरे द्वारा है अपना नाम परिवर्तित कर दिया है और आम कृष्णा एन्ड कॉर्पोरेशन सोसायटी.....

234 चौनता बार्ड सेक्टर-10, मिलार्ड, गिला दुर्ग व गिला दुर्ग

रु. नाम से छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क. 44 सन् 1973) की धारा 13

उम्मारा (2) के अधीन तारीख 23/04/2011 को रजिस्ट्रीकृत की गई है।



Z. S. Dandekar
22-3-2021
PRINCIPAL

KRISHNA PUBLIC SCHOOL
SUNDER NAGAR



S. S. Dandekar
MANAGER
KRISHNA PUBLIC SCHOOL
SUNDER NAGAR, BHILAI (C.)

प्रमाण पत्र क्रमांक 458
दिनांक 26/4/14

प्राप्ति (2)

संस्था प्रधान ग्राहक 13/4/14

उपायकरण क्रमांक 13607
वक्तव्य दिनांक 14/4/14
प्राप्ति दिनांक 23/4/14

नियमावली

1. संस्था का नाम : कृष्णा प्रौद्योगिक शासन सोसायटी
2. संस्था का कार्यालय : 234, जोनल मार्केट, सेक्टर - 10, बिलाई, तहसील चंडीगढ़
3. कार्यक्षेत्र : चंडीगढ़
4. संस्था का उद्देश्य :

1. पिछले वर्षों में अनुशृणित जाति / जनजाति के विद्यार्थियों के आधार शिला पर उनके उत्तराधिकार क्षमता का वास करना।
2. शैक्षणिक गतिविधियों को उत्साहित करना। स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं का प्रबंध करना। नियमावली उन्नालन हेतु प्रीव विद्या का प्रबंध करना।
3. भारतीय संस्कृति के मूल्यों को स्थापना के लिए एवं शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिए सेमिनार व सिम्पोजियम आयोजित करना पुरातात्त्वालयों की स्थापना करना।
4. सामाजिक एवं धार्मिक उत्सवों को व्यवस्था करना एवं खेलों का आयोजन करना।

5. सदस्यता :

अ. संरक्षण सदस्य :- जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में ₹. 1000/- या अधिक एक मुश्त या एक धर्त वारह किश्तों में देगा वह सभिता का संरक्षक सदस्य होगा।

ब. आजीवन सदस्य :- जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में ₹. 500/- या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य होगा। कोई भी आजीवन सदस्य ₹. 500/- या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।

स. साधारण सदस्य :- जो व्यक्ति रूपवे प्रति माह ₹. 60/- प्रतिवर्ष संस्था को धन्दे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि तक के लिये सदस्य रहेगा जिसके लिये उसने धन्दा दिया है जो साधारण सदस्य बिना सन्तोष जनक कारणों के छ। माह तक देय धन्दा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा सदस्यता के लिये नया आयोजन पत्र देने तथा बकाया धन्दे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

द. सम्मानीय सदस्य :- संस्था की प्रबन्धकारणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उन्हित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं, परन्तु उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(एम. एम. विपाठी)

(धीरो. कुमार)

(श्रीमती. कृष्णा)

G. G. Adarsh
22-3-2011
PRINCIPAL
KRISHNA PUBLIC SCHOOL
SUNDER NAGAR

क्रमांक - 2
MAY

KRISHNA PUBLIC SCHOOL
SUNDER NAGAR, BHILAI (C.G.)

6. सदस्यता की प्राप्ति :— प्रत्येक व्यक्ति जो किसी समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो, विधिवत् सम्प से आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र प्रवृत्ति कारिणी समिति को प्रस्तुत होगा। जिसकी आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।
7. सदस्यों की वीम्यता :— संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :—
1. आयु 18 वर्ष से कम न हो।
 2. भारतीय नागरिक हो।
 3. समिति के नियमों का पालन की प्रतिक्षा की हो।
 4. सदृचारित्र हो तथा भव्यपान न करता हो।
8. सदस्यता की समाप्ति :— संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो सकती है— *
1. मृत्यु हो जाने पर
 2. पालन हो जाने पर
 3. संस्था को दिये चन्द्रों की रकम नियम 5 में दत्ताये अनुसार जमा न करने पर
 4. स्थान-पत्र देने पर और दाढ़ीकार द्वारा पत्र के निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देनी होगी।
9. संस्था कार्यालय में सदस्य पंची रखी जावेगी, जिसमें निम्न व्यांके दर्ज किये जावेगे :—
1. प्रत्येक सदस्य का नाम तथा पता एवं व्यवसाय। हस्ताक्षर सहित।
 2. वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नंबर।
 3. वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो।
10. अ. साधारण सभा :— साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये गये के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी। परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आमसभा पंजीयन दिनांक से तीन माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा। यदि संवैधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजायक को अधिकार होगा कि यह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में कराये एवं पदाधिकारियों का विधिवत् घुनाव कराया जावेगा।

(एम. एम. त्रिपाठी)

(श्री बी. शुभमार)

(श्रीमती कृष्णा)

ब. प्रबंधकारिणी सभा :- प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेन्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से ज्ञाता हैन पूर्ण कार्यकारणी के प्रत्येक सदस्य को भेजा जाना आवश्यक होगी। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों को होगा। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घटे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी।

स. विशेष बैठक :- यदि कम से कम तुम संघया कुल सदस्यों की संख्या का $\frac{2}{3}$ सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक लाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये दिखें वर विशेष करने के लिये साधारण सी बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संवाद पारित हो जाने पर संकल्प की प्रतिपूर्जीयता का संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजा जावेगा। परिवर्तन को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

11. साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :-

अ. संस्था के पिछले वर्ष स्थाई निधि व संपत्ति व्यवस्था करना।

ब. संस्था की पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत बरना।

स. आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।

द. अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।

इ. संस्था द्वारा संबंधित संस्थाओं के आय-व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।

फ. बजट का अनुमोदन करना।

12. प्रबंधकारिणी का गठन :- ट्रस्टोज यदि कोई हो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे। नियम 5)अ, य, स में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाहन होगा।

अ. अध्यक्ष ब. उपाध्यक्ष स. सचिव द. कोषाध्यक्ष इ. संयुक्त सचिव एवं सदस्य - दो।

13. प्रबंध समिति का कार्यकाल - प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि गई प्रबंधकारिणी समिति का निर्णय नियमानुसार अन्य कारणों से नहीं हो जाती, करती रहेगी किन्तु उक्त के लिए साधारण सी सभा का अनुमोदन करने से आवश्यक होगा जिसका अवधि 6 माह से ज्यादा नहीं बढ़ायी जावेगी।

(एम. एम. त्रिपाठी)

(श्री पी. कुमार)

(श्रीमती कृष्णा)

R.G.S. 22-3-2021
PRINCIPAL
KRISHNA PUBLIC SCHOOL
SUNDER NAGAR, BHILAI (C.G.)

MANAGER
KRISHNA PUBLIC SCHOOL NO. 4
SUNDER NAGAR, BHILAI (C.G.)

14. प्रबंधकारिणी के अधिकार य सर्ताव :-

अ. जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उनकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

ब. पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किये हुओं प्रष्टि प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

स. समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन सथा भर्तु आदि का भुगतान करना। संस्था की चल अचल वार्षिक सम्पत्ति पर लगने वाले काम आदि का भुगतान करना।

द. कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

इ. अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय - समय पर संपूर्ण जाए।

च. संस्था की समस्त चल अचल संपत्ति कार्यकारिणी समिति के नाम्नाम्नहोगी।

छ. संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति रजिस्ट्रार को लिखित अनुशा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित नहीं की जाएगी।

ज. विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों $\frac{2}{3}$ मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

15. अध्यक्ष के अधिकार :— अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात होगा।

16. उपाध्यक्ष के अधिकार :— अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की, समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

17. सचिव मंत्री के अधिकार :—

- साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय - समय पर बुलाया और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना।
- समिति का आय-व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।
- समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पास जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।
- सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रुपये 500=00 खर्च करने का अधिकार होगा।

(स्म. स्म. त्रिपाठी)

(श्री पी. शुभार)

(श्रीमती कृष्णा)

- १३६०७
मार्च २०११
18. कोषाध्यक्ष के अधिकार : - समिति की प्रत्याग्रह कामर्ष हिसाब पर्खनांतर्था संस्थित व्यय कार्यकारी
द्वारा स्वीकृत व्यय करना।
19. बैंक खाता : - संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस मे रहेगी। धन का
आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष
के पास अधिकतम रूपये 200.00 रहेंगे।
20. पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी : - अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की
वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्राप्ति पर कार्यवाही समिति
की सूची फाईल की जावेगी। तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा भेजेगी। नियत
शुल्क के साथ भेजी जावेगी।
21. संशोधन : - संस्था के विधान मे संशोधन साधारण सभा की बैठक मे कुल सदस्यों के $\frac{2}{3}$ मतों से
पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित मे उसके पंजीकृत विधान मे संशोधन करने के
अधिकार पंजीयक फर्म एवं संस्थाएँ को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा। नियत शुल्क के
साथ भेजी जावेगी।
22. विघटन : - संस्था का विघटन साधारण सभा मे कुल सदस्यों के $\frac{3}{5}$ मत से पारित किया जावेगा।
विघटन के पश्चात संस्था की घल अचल संपत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी
जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।
23. सम्पत्ति : - संस्था को समस्त घल तथा अचल संपत्ति संस्था के सुपुर्द रहेगी। संस्था की अचल
संपत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएँ की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्य
प्रकार से अधिकृत या अन्तरित नहीं की जा सकेगी। नियत शुल्क के साथ भेजी जावेगी।
24. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना : - संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा
वार्षिक बैठक ना बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म एवं संस्थाएँ
को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक मे विधारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।
25. विवाद : - संस्था मे किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष की साधारण सभा मे बुलाने का
अधिकार होगा। यदि इन निश्चित या निर्णय से पक्षाकार को सन्तोष न हो तो वह रजिस्ट्रार का
निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा। संचालित संस्थाओं के विवाद अथवा प्रबन्ध समिति के विवाद
का अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

(एम. एम. त्रिपाठी)

(श्री पौ. कुमार)

(श्रीमती कृष्णा)

MANAGER
KRISHNA PUBLIC SCHOOL
SUNDERNAGAR, BHILAI (C.G.)

500 09 25/4/11
दिन 14/4/11
बाटी

(D.D. Mahanty
Dy. Registrar
Firms & Societies
Chhattisgarh 26/4/11)

R.S. Andher
22-3-2011

कार्यालय संग्रहालय फर्मसे एवं सम्बारे छत्तीसगढ़
इन्द्रधनु भवन, नेहरू नगर, बिलाई, अल्लू नगर, नवा रायपुर

13607 / 1984 / 888 / 20 अल्लू नगर, नवा रायपुर, दिनांक
27/11/2020

सचिव

कार्यालय संग्रहालय फर्मसे
43, १२६, नेहरू नगर, बिलाई, जिला—दुर्ग।

विषय : छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधन—1998) की धारा—29 के अधीन कार्यकारिणी की प्रमाणित प्रतिलिपि बाबत।

संदर्भ : आपकी ओर प्रस्तुत प्रस्ताव प्राप्त दिनांक 21.07.2020 एवं 26.11.2020

—00—

संस्था कृष्णा एजुकेशन सोसायटी, बिलाई, जिला—दुर्ग, छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण 1973 (संशोधित 1998) के तहत पंजीयन क्रमांक—13607, दिनांक 11.04.1984 द्वारा जिस पर उक्त अधिनियम के समस्त प्रावधान प्रभावशील होते हैं।

संस्था द्वारा दिनांक 24.06.2020 को आयोजित आमसभा के बैठक की जानकारी नियत इस कार्यालय में दिनांक 21.07.2020 एवं 26.11.2020 को फायलिंग शुल्क रूपये 5000/- चालान क्रमांक—78946960, दिनांक 18.07.2020 दुर्ग में जमा कर प्रस्तुत करते हुए सूची प्रदाय करने हेतु धारा—29 के अधीन रूपये 80/- चालान क्रमांक—79161243, दिनांक 18.07.2020 में जमा कर प्रस्तुत किया गया है।

अतः संस्था द्वारा प्रस्तुत सूची को धारा—27 के अधीन दिनांक 27.11.2020 को रिकार्ड पर लिया गया है। जिसमें कार्यकारिणी पदाधिकारियों/सदस्यों के निम्नानुसार नामों का उल्लेख किया गया है।

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	पदनाम
01	श्री मदन मोहन त्रिपाठी	अध्यक्ष
02	श्री आनन्द कुमार	उपाध्यक्ष
03	श्री प्रमोद कुमार	सचिव
04	श्रीमती स्नेहलता त्रिपाठी	कोषाध्यक्ष
05	श्री एच.के.मिश्रा	संयुक्त सचिव
06	श्रीमती कृष्णा त्रिपाठी	सदस्य
07	श्रीमती कुंजलता त्रिपाठी	सदस्य

अतः एतद द्वारा आज दिनांक 27/11/2020 को प्रमाणित प्रतिलिपि जारी की जाती है।

Principal
Krishna Public School
Nehru Nagar, Bhilai (C.G.)

R.G.Das
22.3.2021
PRINCIPAL
KRISHNA PUBLIC SCHOOL
SUNDER NAGAR

Manager
Krishna Public School
Nehru Nagar, Bhilai (C.G.)

सहायक पंजीयक
फर्मसे एवं संस्थाएं, छत्तीसगढ़

MANAGER
KRISHNA PUBLIC SCHOOL
SUNDER NAGAR BHILAI (C.G.)